

बिना गिरवी मिलेगा 2.50 लाख करोड़ का लोन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार ने एमएसएमई को बिना किसी गिरवी के 2.50 लाख करोड़ का लोन देने का फैसला लिया है। कदम एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है, ताकि वे अपने कारोबार को जारी रख सकें और रोजगार में कटौती को रोक सकें। गैर एमएसएमई और एयरलाइंस कंपनियां भी एक सीमा तक लोन प्राप्त कर सकेंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट कमेटी की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ईसीएलजीएस (इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम) के तहत एमएसएमई को बिना गिरवी के लोन प्रदान किया जाएगा। गारंटी लागत 18,000 करोड़ आएगी, जिसका भुगतान बैंकों को सरकार करेगी। एयरलाइंस कंपनियां भी

एमएसएमई व एयरलाइनों को मिली बड़ी राहत



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी • फाइल

- पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय
- गैर एमएसएमई और एयरलाइंस कंपनियों को भी मिलेगा लाभ
- लोन को पांच साल में चुकाना होगा, पहले साल रहेगी छूट

इसके तहत 5000 करोड़ का लोन ले सकेंगी। विमान ईंधन कीमतों में वृद्धि से एयरलाइंस पर दबाव बढ़ रहा है। योजना में सभी प्रकार के एमएसएमई बिना गिरवी वाले लोन ले सकेंगे। संबंधित खबर >> पेज 15